



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27092025-266464
CG-DL-W-27092025-266464

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्टूबर 3, 2025 (आश्विन 5, 1947)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2025 (ASVINA 5, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	447	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	925	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	4475	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2975
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	5027
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	447	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	925	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4475	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2975
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5027
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितंबर 2025

संकल्प

सं. ई-4(1)/2019-रा.भा. (वि.वि.)—भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के दिनांक 11 मई, 2023 की संकल्प संख्या ई.4(1)/2019-रा.भा. (वि.वि.), दिनांक 08 दिसंबर, 2023 के समसंख्यक संकल्प द्वारा यथा संशोधित, का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार द्वारा विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति का गठन, कार्य, कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे :—

1. गठन

1. विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

2. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

1.	श्री अरुण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
2.	श्री हर्ष महाजन, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
3.	श्री प्रताप चंद्र सारंगी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री अभिजीत गंगोपाध्याय, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य

3. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य

5.	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
6.	श्रीमती कृति देवी देबबर्मन, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य

4. हिंदी की स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा नामित सदस्य

7.	श्री भोज प्रकाश, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद	सदस्य
8.	श्री व्योमेश शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	सदस्य

5. विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

9.	डॉ. देवेनचन्द्र दास, मकान सं0 09, तेतेलिया, मालीगांव, गुवाहाटी- 781011	सदस्य
10.	श्री राजेंद्र उपाध्याय, जी-402, सिविलटेक प्रॉपर्टी, सेक्टर-77, नोएडा-201301	सदस्य
11.	श्रीमती वैशाली तोमर, राजविला, अनामिका एन्क्लेव, सेक्टर-14, पुरानी दिल्ली रोड, गुरुग्राम- 122001	सदस्य
12.	डॉ. रुचि चतुर्वेदी, 103, गणपति धाम, एन. एच. 2, सिकंदरा, आगरा- 282007	सदस्य

6. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

13.	डॉ. सतेंद्र कुमार शुक्ल, मकान सं0 30, गली सं. 3, ब्लॉक - ई, पांडव नगर, दिल्ली- 110084	सदस्य
14.	श्री रवि सोनी, निर्मला कुटी, पालीवाल गार्डन के सामने, नया बस अड्डा सिरोज, जिला- विदिशा (म.प्र.)- 464228	सदस्य
15.	श्री बायपल्ली राजेश्वरी, प्लॉट सं. 239, पी.एन.कॉलोनी, 5वीं लाईन, गुजाराथीपेटा, श्रीकाकुलम (आ.प्र.)- 532001	सदस्य

सरकारी सदस्य

16. सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
17. सचिव, विधि कार्य विभाग	सदस्य
18. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
19. अपर सचिव, विधायी विभाग(राजभाषा प्रभारी)	सदस्य
20. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग(राजभाषा प्रभारी)	सदस्य
21. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (प्रशासन), विधायी विभाग	सदस्य
22. संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार (प्रशा.), विधि कार्य विभाग	सदस्य
23. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
24. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन	सदस्य
25. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड	सदस्य-सचिव

2. समिति के कार्य :

समिति का कार्य संविधान में यथा उल्लिखित राजभाषा संबंधी सिद्धान्तों, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों एवं गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा राजभाषा के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के क्रियान्वयन के संदर्भ में विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल:

1. समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यतः 3 वर्ष का होगा।
2. समिति के कार्य-काल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
3. विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।
4. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
5. समिति के पदेन सदस्य, उस समय तक सदस्य बने रहेंगे, जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं, जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

4. सामान्य :

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते

- (क) समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के उपबंधों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

- (ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को इस समिति के उच्च स्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति विधि और न्याय मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जाए।

डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 2nd September 2025

RESOLUTION

No. E-4(1)/2019-O.L.(L.D.)—In supersession of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department's Resolution No. E-4(1)/2019-O.L.(L.D.), dated the 11th May, 2023, as amended by resolution of even number dated the 08th December, 2023, the Government of India has decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Law and Justice for Legislative Department and Department of Legal Affairs. The constitution, functions, tenure etc. of this Committee shall be as follows:—

1. Formation

1. Minister of State for Law and Justice (Independent Charge) - Chairman

Non-official members

2. Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

1.	Shri Arun Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
2.	Shri Harsh Mahajan, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
3.	Shri Pratap Chandra Sarangi, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
4.	Shri Abhijit Gangopadhyay, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member

3. Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language

5.	Shri Bhartruhari Mahtab, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
6.	Smt. Kriti Devi Debbarman, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member

4. Members nominated by voluntary organizations of Hindi

7.	Mr. Bhoj Prakash, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad	Member
8.	Mr. Vyomesh Shukla, Nagari Pracharini Sabha, Varanasi	Member

5. Members nominated by the Ministry of Law and Justice

9.	Dr. Devenchandra Das, House No. 09, Tetelia, Maligaon, Guwahati- 781011	Member
10.	Shri Rajendra Upadhyay, G-402, Civitech Property, Sector-77, Noida-201301	Member
11.	Mrs. Vaishali Tomar, Rajvila, Anamika Enclave, Sector-14, Old Delhi Road Gurugram – 122001	Member
12.	Dr. Ruchi Chaturvedi, 103, Ganpati Dham, N.H. 2, Sikandra, Agra- 282007	Member

6. Members nominated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

13.	Dr. Satendra Kumar Shukla, House No. 30, Gali No. 3, Block-E, Pandav Nagar, Delhi – 110084	Member
14.	Shri Ravi Soni, Nirmala Kuti, Opp. Paliwal Garden, New Bus Stand, Siroj, Distt. Vidisha (M.P.) – 464228	Member
15.	Shri Bypalli Rajeshwari, Plot No. 239, P.N. Colony, 5th Line, Gujarathipeta, Srikakulam (A.P.) – 532001	Member

Official Members

16.	Secretary, Legislative Department	Member
17.	Secretary, Department of Legal Affairs	Member
18.	Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
19.	Additional Secretary, Legislative Department (In- charge- OL)	Member
20.	Additional Secretary, Department of Legal Affairs (In- charge- OL)	Member
21.	Joint Secretary and Legislative Counsel (Admn.), Legislative Department	Member

22.	Joint Secretary and Legal Adviser (Admn.), Department of Legal Affairs	Member
23.	Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
24.	Chief Editor, Vidhi Sahitya Prakashan	Member
25.	Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing	Member-secretary

2. Functions of the Committee :

The function of the Committee will be to advise the Central Government regarding the progressive use of Hindi in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) in relation to the implementation of the principles relating to official language as mentioned in the Constitution, the Official Languages Act, 1963 and the rules made thereunder, the policy decisions of the Central Hindi Committee and the instructions issued in relation to the official language by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language).

3. TENURE OF TERM:

1. The tenure of the Committee shall ordinarily be 3 years from the date of its constitution.
2. During the tenure of the Committee, if a person is nominated as a member of the Committee, she/he shall be a member only for the remaining period of the tenure of that Committee.
3. The tenure of the Committee may be reduced or extended by the Ministry under special circumstances.
4. A Member of Parliament who is member of the Committee shall cease to be the member of this Committee if she/he ceases to be the Member of Parliament.
5. An ex officio member of the Committee shall continue to be the member so long as she/he holds the office by virtue of which she/ he is the member of the Committee.

4. General :

The headquarter of the Committee will be in New Delhi, but the Committee can hold its meetings at any other place if necessary.

5. Travelling Allowance and Other Allowances :

- (a) The MPs nominated to the Committee shall be paid TA/DA for attending the meetings of the Committee as per the provisions of Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 and the related amendments issued from time to time and the related rules made thereunder.
- (b) In view of the high level nature of the Committee, the other non-official members of the Committee shall be paid travelling allowance/daily allowance as per the guidelines issued by Department of Official Language and as per the rates and rules as amended/prescribed by the Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Law and Justice, all State Governments and Union Territory Administration, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, NITI Aayog, Accountant General, Central Revenues and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information and also made available on the Department's website.

Dr. BRAJESH KUMAR SINGH
Joint Secretary and Legislative Counsel